HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Writ Petition No. 10057/2026

Dr. Pranav Raja Yadav S/o Shri Ram Gopal Yadav, Aged About 34 Years, Resident Of 29, Girdhar Marg, Opposite Axis Bank, Malviya Nagar, Jaipur (Rajasthan)

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through The Principal Secretary Medical Education Department, Government Secretariat, Jaipur.
2. Rajasthan Public Service Commission, Through Its Secretary, Ghughra Ghati, Ajmer.

----Respondents

Connected With

S.B. Civil Writ Petition No. 10167/2026

Deepika Gehlot W/o Shri Surendra Saini, Aged About 36 Years, R/o Village Gordhanpura Via Palsana, Tehsil Dataramgarh, Dist. Sikar, Rajasthan.

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Principal Secretary, Medical And Health Department, Government Of Rajasthan, Government Secretariat, Jaipur, Rajasthan.
2. Director, Department Of Medical And Health Services, Government Of Rajasthan, Swasthya Bhawan, C-Scheme, Jaipur, Rajasthan.
3. Rajasthan Public Service Commission, Through Secretary, Ajmer, Rajasthan.
4. National Medical Commission, Through Its Secretary, Pocket-14, Sector-8, Dwarka Phase-I, New Delhi.

----Respondents

Connected With

S.B. Civil Writ Petition No. 10388/2026

Shikha Kumari Meena D/o Shri Hajari Lal Meena W/o Shri Kapil Meena, Aged About 31 Years, Resident Of A-29, Tapovan Vihar, Jagatpura, Jaipur (Rajasthan)

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through The Principal Secretary Medical Education Department, Government Secretariat, Jaipur.
2. Rajasthan Public Service Commission, Through Its Secretary, Ghughra Ghati, Ajmer.

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Tanveer Ahmad Mr. Rakesh Kumar Dhawan Mr. Iliyas Khan Mr. S. Mohd. Umer Alam Mr. Himanshu Jain Mr. Ram Pratap Saini Mr. Aamir Khan
For Respondent(s)	:	

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI (VJ)

<u>Order</u>

<u>11/06/2026</u>

याचीगण के विद्वान अभिभाषकगण का कथन है कि उक्त रिट याचिकाएं समान प्रकृति की हैं एवं समान तथ्यों पर आधारित हैं।

ऐसे में उक्त तीनों याचिकाओं को समेकित कर इनमें एक साथ आदेश पारित किया जा रहा है।

सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

याचीगण के विद्वान अभिभाषकगण का कथन है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग (आर.पी.एस.सी.) ने दिनांक क्रमशः 22.10.2024 व 11.12.2024 को असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया। उक्त विज्ञापनों की शर्तों के अनुरूप याचीगण निर्धारित शैक्षणिक योग्यता व अनुभव रखते हैं। राजस्थान चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम 1962 (जिसे आगे नियम 1962 कहा जाएगा) में चयन की प्रक्रिया दी हुई है और नियम

1962 के नियम 12 के अनुसार यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के दिन निर्धारित योग्यता रखता है तो वह साक्षात्कार में सम्मिलित हो सकता है। चयन की प्रक्रिया लिखित परीक्षा व साक्षात्कार के आधार पर होती है। उक्त पदों पर आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दिनांक क्रमशः 22.11.2024 व 29.01.2025 थी और याचीगण साक्षात्कार की दिनांक से पूर्व निर्धारित योग्यता रखते थे तथा वे लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हैं तथा साक्षात्कार के लिए वरीयता में आते हैं। इसके अतिरिक्त याचीगण के विद्वान अभिभाषकगण का यह कथन भी है कि सिविल रिट याचिका संख्या 1637/2025 में समान प्रकृति के मामले में इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा दिनांक 28.01.2025 को आदेश पारित कर याचीगण को अनुतोष प्रदान किया है। ऐसी स्थिति में याचीगण को अस्सिटेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति प्राप्त करने के लिए साक्षात्कार में भाग लिए जाने की अनुमति प्रदान की जावे।

सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

नियम 1962 के नियम 12 के अनुसार साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी के द्वारा निर्धारित योग्यता रखा जाना आवश्यक होना बताया गया है।

प्रकरण विचारण योग्य है।

प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी हों।

अंतरिम अनुतोष के रूप में प्रत्यर्थी संख्या 2 को यह निर्देशित किया जाता है कि यदि याचीगण साक्षात्कार की दिनांक तक संबंधित पद की निर्धारित योग्यता रखते हैं और लिखित परीक्षा की मैरिट में नियमानुसार वे साक्षात्कार के योग्य है तो उन्हें प्रोवीजनल रूप से साक्षात्कार में सम्मिलित रखा जाए, लेकिन उनका परीक्षा परिणाम न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना घोषित नहीं किया जाए तथा परीक्षा परिणाम सील कवर में रखा जाए।

यह आदेश रिट याचिका में पारित आदेश के अध्यधीन होगा। उक्त आदेश के द्वारा याचीगण के पक्ष में किसी प्रकार के कोई अधिकार उद्भूत नहीं होंगे।

एकलपीठ दीवानी रिट याचिका संख्या 10057/2026, 10167/2026, 10388/2026 संलग्न होकर, सभी प्रकरण 2 सप्ताह पश्चात पुनः सूचीबद्ध किये जावें।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI (VJ)),J

KISHAN SONI/220,224,225